

निःशुल्क

मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना । आवेदन पत्र

1. आवेदक/आवेदिका का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. पता- ग्राम/मुहल्ला मकान सं०
पंचायत/वार्ड पोस्ट
प्रखण्ड/अंचल (शहर) जिला
4. मतदाता पहचान पत्र संख्या
5. आधार संख्या -

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6. बैंक खाता संख्या -

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7. बैंक का नाम 8. IFSC CODE
9. कोटि- सामान्य/अनु०जाति/अ०ज०जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग
10. आयु

--	--

 11. आवेदक/आवेदिका का पहचान चिन्ह
12. आवेदक/आवेदिका का मोबाईल नम्बर

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13. संलग्न प्रमाण पत्र (अनिवार्य) :-
 - आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति अथवा आधार नहीं होने पर इस आशय का स्वघोषणा पत्र ।

--	--
 - 18 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक/आवेदिका की मतदाता पहचान पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति ।

--	--
 - बैंक खाता का पासबुक की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति ।

--	--
 - पात्रता संबंधी स्वघोषणा पत्र ।

--	--

आवेदक/
आवेदिका का
Photo

घोषणा:-

मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी तथ्य सत्य हैं । मैं इस प्रखण्ड/अंचल का/
की स्थायी निवासी हूँ । मुझे केन्द्र प्रायोजित एवं राज्य योजनान्तर्गत किसी भी योजना का लाभ नहीं
मिलता है ।

तिथि

आवेदक/आवेदिका का ह०/अंगुठा का निशान

सत्यापन प्रतिवदेन

(i) आवेदक/आवेदिका वृद्ध व्यक्ति हैं इनकी उम्र वर्ष है,

आवेदक/आवेदिका द्वारा दिये गये दस्तावेज की जाँच की गई और जाँच में इनका दस्तावेज सही पाया। आवेदक/आवेदिका द्वारा प्रात्रता संबंधी स्वघोषणा पत्र समर्पित किया गया है। अतः संकल्पानुसार मैं इनके पेंशन की स्वीकृति की अनुशंसा करता/करती हूँ। (अस्वीकृति की अनुशंसा की स्थिति में कारण का स्पष्ट उल्लेख करेंगे)

(.....)

जाँच पदाधिकारी का पदनाम एवं हस्ताक्षर

- ☐ आवेदक/आवेदिका द्वारा दी गई उपर्युक्त विवरणी के जाँचोपरान्त उन्हें पेंशन योजना अन्तर्गत TSP/OSP/SCSP में पेंशन की स्वीकृति दी जाती है।
- ☐ आवेदक/आवेदिका द्वारा दी गई उपर्युक्त विवरणी के जाँचोपरान्त निम्नांकित कारणों से आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।.....
-

स्वीकृत/अस्वीकृत

स्वीकृति लेखा संख्या एवं तिथि :-

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी,
हस्ताक्षर एवं मुहर।

नोट :- उपर्युक्त कंडिकाओं में से जो लागू न हो उसे काट दें।

स्वघोषणा पत्र

पेंशन आवेदन पत्र के साथ विभागीय संकल्प के आलोक में जमा किया जाने वाला घोषणा पत्र

मैं आवेदक/आवेदिका का नाम :

पिता/पति का नाम : उम्र

पता- ग्राम/मुहल्ला : पो० थाना

पंचायत/वार्ड नं० : प्रखण्ड/अंचल जिला

एतद द्वारा निम्न बिन्दुओं के होने की घोषणा करता/करती हूँ कि :-

- (क) मैं या मेरी पत्नी/मेरा पति, केन्द्र एवं राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा केंद्रीय/ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रूप से नियोजित/सेवानिवृत्त और पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं करता/ करती हूँ ।
- (ख) मैं आयकर अदा करने वाले परिवार से संबंध नहीं रखता/रखती हूँ ।
- (ग) मैं महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से नहीं प्राप्त कर रहा/रही हूँ ।

नोट :- उपरोक्त कथन एवं सूचना मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है । किसी भी तरह की असत्यता पाए जाने पर मैं स्वयं जिम्मेवार होऊँगा/होऊँगी एवं मेरे विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकेगी ।

आवेदक/आवेदिका/घोषणाकर्ता का हस्ताक्षर अथवा टीप निशान